

अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर
GRANT No. 37 - INDIRECT TAXES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	39739,17,00	39739,19,00	33312,71,97	-6426,47,03
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6322,83,86

पूंजीगत:	Capital:				
स्वीकृत—	Voted-				
मूल	Original	1400,00,00	1400,02,00	682,52,11	-717,49,89
पूरक	Supplementary	2,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				668,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	3373866.00	2735308.17	2732316.75	-2991.42
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-638559.83			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “2042” केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर और एकीकृत वस्तु तथा सेवाकर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	Major Head “2042” Collection Charges under Central Goods and Services Tax & Integrated Goods and Services Tax			
मू.	O. 598051.00	604326.97	597475.55	-6851.42
पु.	R. 6275.97			
मुख्य शीर्ष “2216” आवास	Major Head “2216” Housing	2000.00	1479.67	-520.33

(I) मुख्य शीर्ष “2037” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “राजस्व-सह-आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्य – समुद्री सीमा शुल्क – मुख्य पत्तन” – ₹886.83 लाख की बचत (₹90010.54 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण के लिए कम निधियों की आवश्यकता, किराये संबंधी मामलों में संशोधन नहीं होने और आईटी संबंधी उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई।

(खा) “निवारक और अन्य कार्य” –

(क) “समुद्री सीमा शुल्क – मुख्य पत्तन” – ₹7801.79 लाख की बचत (₹133225.16 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण, स्थापना संबंधी अन्य व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, किराये संबंधी मामलों में संशोधन को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और तुच्छ निर्माण कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदारों को भुगतान जारी नहीं करने के कारण हुई।

(I) Under Major Head “2037” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Revenue-cum-Import/Export Trade Control Functions - Sea Customs - Major Ports” - saving of ₹886.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹90010.54 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances, leave travel concession, leave encashment, non revision of rent cases and less purchase of IT related equipments.

(B) “Preventive and Other functions” -

(a) “Sea Customs - Major Ports” - saving of ₹7801.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹133225.16 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances, leave travel concession, leave encashment, other establishment related expenses, non-finalisation of revision of rent cases and non-release of payments to contractors by CPWD for minor works.

- (ख) “संभारतंत्र निदेशालय” – ₹1408.73 लाख की बचत (₹7846.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों, छुट्टी यात्रा रियायत और लेपटोप और स्मार्टफोनों की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।
- (ग) “राजस्व आसूचना निदेशालय” – ₹699.96 लाख की बचत (₹17816.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों, छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम निधियों की आवश्यकता और सतर्कता मंजूरी नहीं मिल पाने के कारण संविदा प्रदान करने वाले मामलों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।
- (गा) “निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों से माफी (आरओडीआईपी) – निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की माफी के तहत स्क्रिप्स जारी करना” – ₹107072.96 लाख की बचत (₹1424540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किए गए प्रश्नों अथवा निर्यात के पत्तन पर सीमा शुल्क द्वारा पाई गई अनिमितताओं के कारण कुछ शिपिंग बिलों की स्क्रालिंग नहीं होने के कारण हुई।
- (घा) “भारत से व्यापार निर्यात योजना (एमईआईएस) के तहत छूट – भारत से व्यापार निर्यात स्कीम (एमईआईएस) के तहत स्क्रिप्स जारी करना” – ₹204066.57 लाख की बचत (₹328880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावा प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी के कारण निर्यातकों द्वारा बिलों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण हुई।
- (ड) “भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) के तहत छूट – भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) के तहत स्क्रिप्स जारी करना” – ₹139045.00 लाख की बचत (₹400080.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायिक और अर्ध न्यायिक मामलों का निपटान नहीं होने के कारण हुई।
- (चा) “लक्ष्य प्लस स्कीम के अंतर्गत छूट/प्रोत्साहन – लक्ष्य प्लस स्कीम के अंतर्गत छूट/प्रोत्साहन के तहत स्क्रिप्स
- (b) “Directorate of Logistics” - saving of ₹1408.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7846.60 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances, leave travel concession and non-finalization of procurement of laptops and smartphones.
- (c) “Directorate of Revenue Intelligence” - saving of ₹699.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17816.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances, leave travel concession and non-finalisation of reward cases owing to non-receipt of vigilance clearance.
- (C) “Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) - Issue of Scrips under Remission Duties and Taxes on Exported Products” - saving of ₹107072.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1424540.00 lakhs) was due to non - scrolling of some shipping bills owing to queries raised or other infirmities detected by Customs at the Port of Export.
- (D) “Rebate under Merchandise Export from India Scheme (MEIS) - Issue of Scrips under Merchandise Export from India Scheme (MEIS)” - saving of ₹204066.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹328880.00 lakhs) was due to non-submission of bills by exporters owing to lack of awareness of claim procedure.
- (E) “Rebate under Service Exports from India Scheme (SEIS) - Issue of Scrips under Service Exports from India Scheme (SEIS)” - saving of ₹139045.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400080.00 lakhs) was due to non-settlement of judicial and quasi-judicial matters.
- (F) “Rebate/Incentive under Target Plus Scheme - Issue of Scrips under Rebate/Incentive

जारी करना” – ₹90336.43 लाख की बचत (₹103268.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्क्रिप्स जारी करने की प्रक्रिया में देरी होने के कारण हुई।

(छा) “अन्य स्कीमों के अंतर्गत छूट” –

(क) “राज्य लेवी स्कीम पर छूट (आरओएसएल) के तहत स्क्रिप्स जारी करना” – ₹6598.87 लाख की बचत (₹6600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड से विदेश व्यापार महानिदेशालय के सर्वर पर शिपिंग बिल भेजने में देरी होने के कारण हुई।

(ख) “मोबाइल फोनों के लिए 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के तहत स्क्रिप्स जारी करना” – ₹683.67 लाख की बचत (₹1220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई बीआरसी के नहीं होने/ दावा प्रक्रिया के बारे में जागरूकता के अभाव के कारण निर्यातकों से दावे नहीं प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) “फोकस उत्पाद स्कीम और बाजार सहबद्ध फोकस उत्पाद स्कीम के तहत स्क्रिप्स जारी करना” – ₹33736.13 लाख की बचत (₹37712.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवेदकों द्वारा अधिसूचित फोकस मार्केटों में रिपोर्टिड वस्तुओं का निर्यात किए जाने के अपेक्षित दस्तावेजों साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण हुई।

(घ) “फोकस बाजार स्कीम के अंतर्गत स्क्रिप्स जारी करना” – ₹11472.00 लाख की बचत (₹11685.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ङ) “विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के अंतर्गत स्क्रिप्स जारी करना” – ₹9033.44 लाख की बचत (₹9076.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

under Target Plus Scheme” - saving of ₹90336.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹103268.00 lakhs) was due to delay in process of issuance of scrips.

(G) “Rebate under Other Schemes” -

(a) “Issue of Scrips under Rebate on State Levies Scheme (RoSL)” - saving of ₹6598.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6600.00 lakhs) was due to delay in transmission of shipping bills from Central Board of Indirect taxes & Customs to Directorate General of Foreign Trade server.

(b) “Issue of Scrips under 2% Additional Adhoc Incentive for Mobile Phones” - saving of ₹683.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1220.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from exporters owing to absence of e BRCs/lack of awareness regarding claim procedure.

(c) “Issue of Scrips under Focus Product Scheme and Market Linked Focus Product Scheme” - saving of ₹33736.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37712.00 lakhs) was due to non-submission of requisite documents of proof of landing of exported goods in the notified focus markets, by the applicants.

(d) “Issue of Scrips under Focus Market Scheme” - saving of ₹11472.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11685.00 lakhs);

(e) “Issue of Scrips under Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojna” - saving of ₹9033.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9076.00 lakhs);

(च) “स्तर धारक प्रोत्साहन योजना (एसएचआईएस) के अंतर्गत स्क्रिप्स जारी करना” – ₹16579.60 की बचत (₹16920.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(छ) “वार्षिक निर्यात वृद्धि प्रोत्साहनकरण योजना के अंतर्गत स्क्रिप्स जारी करना” – ₹13994.90 लाख की बचत (₹14990.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपरोक्त चार शीर्षों के तहत बचत आवेदकों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जमा न करने और फर्म के अस्वीकृत प्रवेश सूची में होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष “2042” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(का) “निर्देशन और प्रशासन” –

(क) “करदाता सेवा महानिदेशालय” – ₹1711.50 लाख की बचत (₹5448.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन तथा भत्तों, छुट्टी यात्रा रियायत, स्थापना संबंधी व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता जी-20 भारत की अध्यक्षता से संबंधित प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, केन्द्रीय संचार ब्यूरो द्वारा निधियों का इस्तेमाल नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ख) “सिस्टम और डाटा प्रबंधन” – ₹13090.60 लाख की बचत (₹57647.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम बिल प्राप्त होने और प्रस्तुत बिलों में औपचारिकताओं/शर्तों के पूरा नहीं होने के कारण हुई।

(खा) “संग्रह शुल्क – प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीआईसी के वेतन और लेखा कार्यालय (केन्द्रीय माल और सेवा कर)” – ₹594.55 लाख की बचत (₹7935.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(f) “Issue of Scrips under Status Holders Incentive Scheme (SHIS)” - saving of ₹16579.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16920.00 lakhs); and

(g) “Issue of Scrips under Annual Incremental Export Incentivization Scheme” - saving of ₹13994.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14990.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-submission of requisite documents by the applicants and the firm being in Denied Entry List.

(II) Under Major Head “2042” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration” -

(a) “Directorate General of Tax Payer Services” - saving of ₹1711.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5448.70 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances, leave travel concession, establishment related expenses, non-finalization of proposals relating to G-20 Presidency of India and non-utilisation of funds by Central Bureau of Communication.

(b) “Systems and Data Management” - saving of ₹13090.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹57647.50 lakhs) was due to receipt of less bills and non-fulfilment of formalities/conditionalities in submitted bills.

(B) “Collection Charges - Pay & Accounts Offices (Central Goods & Service Tax) of Pr. Chief Controller of Accounts, CBIC” - saving of ₹594.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7935.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards pay and allowances and leave travel concession.

(गा) “अन्य व्यय – अन्य मदें” – ₹668.79 लाख की बचत (₹3008.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष “2216” – “अन्य आवासन – रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय” – ₹520.33 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुछ परियोजनाओं का कार्य पूरा नहीं किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1811.73 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “2037” – “राज्य और केंद्रीय कर लेवियों पर छूट (आरओएससीटीआई) – राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों पर छूट के अंतर्गत स्क्रिप्स जारी करना” के अंतर्गत दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में ₹2.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1809.63 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2042” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अधीन हुए अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(का) “निर्देशन और प्रशासन” –

(क) “राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन)” – ₹1258.25 लाख का अधिक व्यय (₹9049.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम अदा की गईं कोर्ट फीस, इंटरशिप योजना के अधीन बिलों को निपटाने, वेतनवृद्धि जारी करने, महंगाई भत्ते में वृद्धि, स्वर्ण परिवर्तन शुल्क, फर्नीचर की खरीद और नवनिर्मित कार्यालय परिसरों के लिए अन्य आरंभिक व्यय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(C) “Other Expenditure - Other items” - saving of ₹668.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3008.00 lakhs); and

(III) Under Major Head “2216” - “Other Housing - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure” - saving of ₹520.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of proposals and non-completion of work by Central Public Works Department in a few projects.

2.(I) The above savings were partly (₹1811.73 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹2.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under Major Head “2037” - “Rebate on State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) - Issue of Scrips under Rebate on State and Central Taxes and Levies”. Actual excess, however, was ₹1809.63 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2042” - under the following heads:-

(A) “Direction and Administration” -

(a) “National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (NACIN)” - excess of ₹1258.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9049.75 lakhs) was due to requirement of additional funds towards deficit court fees, clearance of bills under internship scheme, release of increments, increase in dearness allowance, gold conversion charges, purchase of furniture and other initial expenses for newly built office premises.

(ख) “माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय” – ₹4643.01 लाख का अधिक व्यय (₹20374.58 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(b) “Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence” - excess of ₹4643.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20374.58 lakhs); and

(खा) “संग्रहण शुल्क – कमिश्नरी” – ₹9878.01 लाख का अधिक व्यय (₹473650.99 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) “Collection Charges - Commissionerates” - excess of ₹9878.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹473650.99 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय लंबित रिवाइड मामलों, नवनिर्मित कार्यालय परिसरों के लिए आरंभिक खर्च, फर्नीचर की खरीद, किराए का बकाया और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards pending reward cases, initial expenses of newly built office premises, purchase of furnitures, arrears of rent and other establishment related expenses.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :-

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following heads:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head	
मुख्य शीर्ष “4047” अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4047” Capital Outlay on Other Fiscal Services
मू.	O. 20000.00
पु.	R. -19400.00
मुख्य शीर्ष “4059” लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4059” Capital Outlay on Public Works
मू.	O. 78000.00
पू.	S. 1.00
पु.	R. -25300.00

600.00 562.55 -37.45

52701.00 50467.80 -2233.20

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head	Head	
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"	
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing	
मू.	O.	42000.00
पू.	S.	1.00
पु.	R.	-22100.00

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4047" - "सीमा शुल्क - निवारक और अन्य कार्य" के अंतर्गत - ₹19437.45 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने और मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनर (एमएक्ससीएस) की संस्थापना/पुनः अवस्थिति/वैकल्पिक स्थल को अंतिम रूप देने में देरी और डेमो मशीनों के आयात के लिए निविदादाताओं को अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में देरी के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4047" - "Customs - Preventive & other functions" - saving of ₹19437.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to non-completion of tendering process, delay in finalisation of installation/relocation/alternative sites of Mobile X-Ray Container Scanner (MXCS) and delay in obtaining No Objection Certificate to bidders for import of demo machines.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - निर्माण - सीमा शुल्क सीजीएसटी कमिश्नरी के लिए कार्यालय भवन का निर्माण" के अंतर्गत ₹34461.14 लाख की बचत (₹70094.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया में देरी और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने, निर्माण स्थल पर स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समय पर परियोजनाएं पूरी नहीं किए जाने, संविदाकारों द्वारा मोबिलाइजेशन अग्रिम की मांग न करने, हिन्दूपुर परियोजना के लिए स्थानीय निकायों को भुगतान से छूट देने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 3 से 4 महीने के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबंध होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4059" - "Office Buildings - Construction - Construction of office building for Customs CGST Commissionerate" - saving of ₹34461.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70094.00 lakhs) was due to the delay in tendering process and imposition of restriction on movement of heavy vehicles, opposition by local residents at the construction site, non-completion of projects by Central Public Works Department in time, no demand of mobilisation advance by contractors, exemption from payment to Local Body in respect of Hindupur project and ban on construction work for 3 to 4 months in Delhi NCR.

(IV) मुख्य शीर्ष “4216” – “सरकारी आवासीय भवन – सीमा शुल्क और जीएसटी कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन – सीमा शुल्क और सीजीएसटी कमिश्नरी के लिए आवासीय भवनों का निर्माण” के अंतर्गत ₹24777.24 लाख की बचत (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹41999.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समय पर परियोजनाएं पूरी न किए जाने, वडाला परियोजना की निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिए जाने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 3 से 4 महीने के लिए निर्माण कार्य पर प्रतिबंध होने, कार्य की धीमी गति के कारण नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन (एन बी सी सी) को निधियों के जारी नहीं करने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7300.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष “4059” – “कार्यालय भवन – भूमि अधिग्रहण – सीमा शुल्क और सीजीएसटी कमिश्नरी के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण” के अंतर्गत मार्च, 2023 में ₹1.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹6928.94 लाख था।

(IV) Under Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - Residential Buildings for Customs and GST Employees - Construction of Residential Buildings for Customs & CGST Commissionerate” - saving of ₹24777.24 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹41999.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2023) was due to non-completion of projects by Central Public Works Department in time, non-finalisation of tender process of Wadala Project, ban on construction work for 3 to 4 months in Delhi NCR and non-release of funds to National Buildings Construction Corporation (NBCC) owing to slow progress of work.

4. The above savings were partly (₹7300.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2023 under Major Head “4059” - “Office Buildings - Acquisition of land - Acquisition of Land for construction of Office Building for Customs and CGST Commissionerate”. Actual excess, however, was ₹6928.94 lakhs.